(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 08.04.2026)

सदस्य–पन्द्रहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर (म0प्र0)

पीठासीन न्यायाधीश–कपिल सोनी

Registration No.	:	MJC MACC 204/2026
Filing No.	:	1918/2026
CNR No.	:	MP0701-006450-2026
Rag. Date.	:	25-03-2026

1. रामेश्वर पुत्र श्री सरदार, आयु 51 वर्ष, व्यवसाय–किसानी,
2. मीरा पत्नी श्री रामेश्वर आयु 53 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य,
3. मुनेश गुर्जर पुत्र श्री रामेश्वर गुर्जर, आयु 24 वर्ष, व्यवसाय–खेती निवासीगण–हाउस नम्बर 109, ग्राम बरौआ, पिछोर पोस्ट आईटीएम गिर्द ग्वालियर म0प्र0 स्थाई निवासी–7 हरिजन कालोनी सलूपुरा, पिपरौली गिर्द ग्वालियर (म0प्र0)

.... **आवेदकगण**

विरूद्ध

1. विनोद कुमार गुप्ता पुत्र किशोरीलाल मित्तल उर्फ किशोरीलाल, निवासी–वार्ड नम्बर 14 पुराना ऊंटखाना घंटाघर तलैया धौलपुर राजस्थान स्थायी निवासी–रॉयल पब्लिक स्कूल के सामने गुरूद्वारा रोड धौलपुर राजस्थान
2. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा डिवीजनल मैनेजर कार्यालय राममंदिर के पास लश्कर ग्वालियर पता सेंटर पॉइंट काम्पलेक्स फूलबाग चौराहा लश्कर ग्वालियर (म0प्र0)
3. मुकेश पुत्र श्री रामप्रकाश तोमर आयु 34

वर्ष, व्यवसाय– अम्लहेडा पोरसा, जिला मुरैना म0प्र0

.... **अनावेदकगण**

पुनश्च (08.04.2026)

आवेदक पक्ष द्वारा श्री अमर गौतम अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदकगण अनुपस्थित/तलब नहीं।

प्रकरण सावधि जमा योजना अंतर्गत निक्षेपित धनराशि के समय पूर्व भुगतान आवेदन पर तर्क हेतु पेश हुआ।

सुना गया।

प्रकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया।

आवेदक पक्ष की ओर से एफडीआर राशि का समय पूर्व भुगतान का आवेदन पेश कर निवेदन किया है कि क्लेम प्रकरण कमांक 1522/2023 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 14.09.2024 अनुसार आवेदक कं. 2 श्रीमती मीरा के हित में 2,50,000/– रूपये की एफ0डी0आर0कमांक 66710303003680 एवं आवेदक कं. 3 मुनेश गुर्जर के हित में 1,25,000/– रूपये की एफ0डी0आर0 कमांक 6671030–30036882 बनाई गई हैं। आवेदक कं. 2 श्रीमती मीरा काफी समय से टी.बी. की बीमारी से पीड़ित होकर इलाजरत है। आवेदकगण गरीब परिवार के सदस्य है, उनके पास आय का कोई साधन नहीं हैं इसलिये आवेदकगण को आवेदक कं. 2 के इलाज हेतु एफ.डी.आर. राशि के समय पूर्व भुगतान की

आवश्यकता है। आवेदन पत्र के समर्थन में मुनेश गुर्जर का शपथपत्र तथा श्रीमती मीरा के उपचार प्रपत्र, जॉच रिपोर्ट एवं एक्स–रे रिपोर्ट मय प्लेट पेश हुई है। प्रश्नगत आवेदन पत्र में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रकरण में निक्षेपित धनराशि के आहृरण/समय पूर्व भुगतान पर माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ, ग्वालियर के द्वारा कोई स्थगन आदेश या रोक नहीं लगाई गई है।

क्लेम प्रकरण क्रमांक 1522/2023, अवार्ड दिनांक 14.09.2024 के अनुसार यह प्रकट है कि अधिनिर्णीत क्षतिपूर्ति राशि 12,50,000/– रूपये जमा होने पर उसमें से आवेदक क्रं. 2 श्रीमती मीरा को 5,00,000/–एवं आवेदक क्रं. 3 मुनेश गुर्जर को 2,50,000 राशि प्रदान की गई है जिनमें से आधी–आधी राशि नगद एवं शेष राशि 03 वर्ष की अवधि के लिये एफ0डी0आर0 में जमा की गई है।

आवेदक पक्ष द्वारा जो श्रीमती मीरा देवी के दिनांक 17.09.2023, 16.10.2023, 23.04. 2025, 10.11.2025, 26.12.2025 की जॉच रिपोर्ट्स एवं दिनांक 23.04.2025 से दिनांक 19.07. .2025 तक के इलाज के पर्चे अर्चना हेल्थ केयर ग्वालियर एवं एक्स–रे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं उनके अवलोकन से प्रथम दृष्टया आवेदक क्रं.2 श्रीमती मीरा देवी उपचाररत होना दर्शित है जिसके उपचार हेतु उसके

हित में निक्षेपित एफ.डी.आर. राशि में से **<u>एक लाख रूपये</u>** की धनराशि का समय पूर्व भुगतान किया जाना उचित होगा।

अतः प्रकरण के तथ्य एवं विद्यमान परिस्थितियों में आवेदक क्रं. 2 श्रीमती मीरा के हित में निक्षेपित एफ0डी0आर0क्रमांक 667103030036880 के समय पूर्व भुगतान हेतु यह उचित मामला है। फलतः आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन **आंशिक** रूप से मंजूर कर आदेशित किया जाता है कि आवेदक क्रं. 2 श्रीमती मीरा के हित में निक्षेपित 2,50,000/- रूपये की एफ0डी0आर0क्रमांक 667103030036880 में से **<u>एक लाख</u>** रूपये की धनराशि का समय पूर्व भुगतान किया जाये तथा शेष राशि यथावत सावधि जमा योजना के अंतर्गत जमा रखी जावे। तत्संबंध में शाखा प्रबंधक, यूनियन बैकं ऑफ इण्डिया शाखा जिला न्यायालय परिसर, ग्वालियर को पत्र जारी हो।

प्रकरण समाप्त।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज कर विहित अवधि में दाखिल अभिलेखागार हो।

सही/
कपिल सोनी
सदस्य,
पंद्रहवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,
ग्वालियर (म0प्र0)